हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
11/06/25	आज यह पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उप०। वास्ते तलबी गौर हेतु दिनांक 23/6/25 को पेश हो। वादी की ओर से वकालतनामा श्री जयप्रकाश शर्मा, व गवाह के शपथ पत्र पेश किए। शा० मि० किया गया। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)
23/06/25	आज पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उप० उप०। प्रतिवादी सं. 01 लं० 06 का इकबाल जवाब पेश किया। शा० मि० किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24/6/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)
24/06/25	आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश की गई। वकुलाय उप०। हमने पत्रावली का अध्ययन एवं मनन किया गया। वादी का वाद-पत्र डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला– कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर :– 154 / 2024
दायर दिनाक – 10.09.2024
निर्णय दिनाक – 24.06.2025

उनवान

1. भागीरथ पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी रामकुवारपुरा तहसील खेतड़ी जिला–झुन्झुनु (राज0) ....वादी

// बनाम //

1. राजेंद्र पुत्र बाबूलाल
2. राधेश्याम पुत्र बाबुलाल
3. मिश्री पत्नि बाबुलाल
4. प्रकाशचन्द पुत्र बाबुलाल
5. चमेली पुत्री बाबुलाल
6. कमला पुत्री बाबुलाल समस्त जाति माली निवासी मौहल्ला पंजीबियान बहरोड
7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, कोटपूतली–बहरोड (राज०)
8. भूमिधारी तहसीलदार कार्यालय बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड (राज०)

– प्रतिवादीगण

दावा – इस्तकरारहक एवं हुक्म इम्तनाई दवामी।

उपस्थित :–

1. श्री जयप्रकाश शर्मा अधिवक्ता वादी
2. श्री सत्यवीर रावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। आराजी खसरा नम्बर हाल 1070 रकबा 0.02 है0 1088 रकबा 0.54 है०, 1089 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम बहरोड तर्फ गंगाबिशन में स्थित है। जिन्हे वाद पत्र के समस्त पदो में विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। विवादित आराजी स्थित ग्राम बहरोड तर्फ नैनसुख कस्टोडियन भूमि थी जिसका सनद पटटा प्राप्त करने के लिये बाबुलाल पुत्र कल्लु जाति माली निवासी बहरोड तहसील बहरोड ने तहसीलदार बहरोड के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनाक 06.07.1961 को चालान सं० 102 द्वारा धनराशी 184.58 रुपया जमा कराया पत्र व्यवहार होने पर बाबुलाल पुत्र कल्लु को 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषित की गई। लेकिन 1/3 हिस्सा के तितम्बा खसरा नम्बर राजस्व दस्तावेज मे वर्णित नही किये गये। बाबुलाल के फोत हो जाने पर विरासत इंतकाल सं० 2588 दिनांक 25.04.12 को दर्ज व स्वीकृत हुआ जिससे स्पष्ट जाहिर है कि विवादित आराजी का बाबुलाल व उसके फोत होने पर वारिसान खातेदार काश्तकार रहे है। बाबुलाल के वारिसान ने बिल एवज बजरिये रजिस्टर्ड बयनामा तहरीरी दिनांक 03.07.2012 निष्पादित दिनांक 16.07.2012 पुस्तक सं० 1 जिल्द सं0 424 पृष्ठ सं० 126 कम सं० 2012002285 अति० पुस्तक स० 1 जिल्द सं० 1042 पृष्ठ सं० 119 से 125 उप पंजीयक कार्यालय बहरोड से वादी के हक में चुकती प्रतिफल राशि प्राप्त करके भौतिक रुप से कब्जा विवादित आराजी के 1/3 हिस्सा पर संभला दिया। तब से वादी बहैसियत खरीददार काबिज चला आ रहा

है। वादी ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। जिसे कानून कायदो की जानकारी भी नहीं है कि बयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज व स्वीकृत कराया जाता है। दिनांक 25.11.2022 को पटवारी हल्का बहरोड ने वादी को कहा कि यह भूमि गैर खातेदारी की है आपको अतिकमी मानकर आपके विरुद्ध काननी कार्यवाही की जावेगी। जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 25.11.22 को ही जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 06.12.2022 को प्राप्त हुई तब वादी को सर्वप्रथम जानकारी में आया कि राजस्व कर्मचारी द्वारा विवादित आराजी का राजस्व इन्द्राज गलत कर प्रतिवादी सं. 1 लगा0 6 के नाम गैर खातेदारी का अंकन करते हुये दर्ज कर दी जबकि जमाबन्दी संवत 2069–72 मे इंतकाल सं० 2528 दिनांक 25.04.2012 के नोट के अनुसार गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था जिसकी प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा अनाधिकार रुप से गलत राजस्व इन्द्राज किया है जो काबिले दुरस्ती है। लिहाजा दावा इस्तकरारहक किया जाना लाजिम आया। जो न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है और वादी इस आश्य की डिकी न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करने का मुस्तहक है कि वादी को आराजी खसरा नम्बर हाल 1070 रकबा 0.02, 1088 रकबा 0.54, 1089 रकबा 0.02 वाके ग्राम बहरोड तर्फ गंगाबिशन मे तितम्बा खसरा नम्बर अर्थात बटा नम्बर डालकर 1/3 हिस्सा का खातेदार इंतकाल सं० 2588 व बयनामा दिनांक 16.07.2012 के आधार खातेदार घोषित किया जावे। जो पुलिस बल से वादी को अतिकमी मानकर विवादित आराजी वाद पत्र के पद सं० 1 में वर्णित 1/3 हिस्सा से विधिक प्रक्रिया अपनाकर बेदखल करने की जूस्तजू में है। यदि प्रतिवादीगण स० 7 व 8 ने वादी को विवादित आराजी के 1/3 हिस्सो से बेदखल कर दिया तो वादी के जायज व कानूनी हक हकूक जायल होकर अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। लिहाजा दावा हुक्म ईम्तनाई दवामी किया जाना लाजिम आया जो न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। और वादी इस आश्य की डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी प्राप्त करने का मुस्तहक है कि प्रतिवादीगण स. 7 व 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण स्वयं या उनके अधिनस्थ कर्मचारी नौकरान, एजेन्टान बादी को विवादित आराजी वाद पत्र के पद सं० 1 में वर्णित विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा का काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे ना ही अतिकमी मानकर वादी को विवादित आराजी से बेदखल करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति को आवंटन करके पटटा जारी करें। विनायदावी जानकारी दिनांक 25.11.2022 व नकल प्राप्त होने दिनांक 06.12.2022 से तथा विनायमुखास्मत दिये जाने नोटिस दिनांक 20.01.2023 से अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है जिससे दावा अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद निम्न प्रकार से डिकी फरमाये जाने की कृपा करे डिकी इस्तकरारहक बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आश्य की सादिर प्रदान करे कि आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 है, 1088 रकबा 0.54 है0 व 1089 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम बहरोड तर्फ गंगाबिशन में वादी को विरास्त इंतकाल सं० 2588 दिनांक 25.04.2012 व बयनामा दिनांक 16.07.2012 के आधार पर 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी इस आश्य की डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी प्राप्त करने का मुस्तहक है कि प्रतिवादीगण 1 लगा० 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण स्वयं या उनके अधिनस्थ कर्मचारी नौकरान, एजेन्टान वादी को विवादित आराजी वाद पत्र के पद सं० 1 में वर्णित में वादी को विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा का काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे ना ही दीगर व्यक्तियो को रहन बय हिबा आदि ना करे एवं वादी को अतिकमी मानकर

विवादित आराजी से बेदखल करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति को आवंटन करके पटटा जारी करें।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 ने अपना बकालतनामा एवं ईकबाल दावा पेश किया। भूमि अधिकारी तहसीलदार बहरोड़ ने अपना जवाब में अंकित किया है कि विवादित आराजी ग्राम बहरोड तरफ नैनसुख कस्टोडियान भूमि थी। जिसका पटटा बाबूलाल पुत्र कल्लू जाति माली ने 1/3 हिस्सा के 184रूपये 88 पैसे जरिये चालान दिनांक 08.06.1961 को जमा कराये थे। उनके 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित की गई। जिसका विरासत का इन्तकाल संख्या 2588 दिनांक 25.04.2012 को दर्ज कर स्वीकृत किया गया। बाबूलाल के वारिसान ने दिनांक 03.07.2012 को उक्त अपना 1/3 हिस्सा वादी को विक्रय कर दिया। तब से वादी बय हैस्यित खरीददार चला आ रहा है। वादी को मुताबिक बयनामा खातेदार घोषित किया जाता है तो राज्य सरकार को कोई हित निहित नही है।

वादी द्वारा नकल बयनामा दिनांक 03.07.2012 प्रदर्श-01, नकल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श-02, तहसीलदार रिपोट जवाब दावा प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 प्रदर्श-04, नकल इन्तकाल प्रदर्श-05, पेश किये है। वादी ने स्वय का शपथ पत्र पीडब्ल्यू-01 गवाह सावंत सिंह पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी जिवनसिंह पुरा तहसील मुण्डावर के शपथ पत्र पेश किये है।

हमने वादी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन व मनन किया गया। प्रदर्श -6 से जाहीर है कि प्रतिवादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 है0 ,1088 रकबा 0.54 है0 , 1089 रकबा 0.02 है0, वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन के 1/3 भाग की खातेदारी दर्ज की गई थी। वादी ने उक्त आराजी दिनांक 16.07.2012 को प्रतिवादीगण से उनका समस्त 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद कर लिया। प्रदर्श-4 जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अवलोकन से जाहिर है कि जो प्रतिवादीगण की प्रदर्श-05 के द्वारा दी गई खातेदारी का अमल हटाकर उनको पुनः गैर खातेदार दर्ज कर दिया जिसके प्रभाव से वादी की खरीद शुद्वा बयनामा का अमल राजस्व अभिलेख में नही हो पाया। जिससे व्यथित होकर वादी ने यह वाद पत्र पेश किया है। तहसीलदार बहरोड के जवाब दावा से स्पष्ट है कि इसमें राज्य का हित निहित नही है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र पुर्णतः सिद्व पाया जाता है।

-: आदेश :-

वादी का यह वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आश्य का डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 है0 ,1088 रकबा 0.54 है0,1089 रकबा 0.02 है0, वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन में वादी को विरासत इन्तकाल संख्या 2588 दिनांक 25.04.2012 व बयनामा दिनांक 16.07.2012 के आधार पर 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर हाल भू-अभिलेख में गैर खातेदार शब्द को हटाकर खातेदार काश्तकार संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 24.6.25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला– कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना आर.ए.एस
मुकदमा नम्बर :– 154 / 2024
दायर दिनांक :– 10.09.2024
निर्णय दिनांक :– 24.6.2025

उनवान

1. भागीरथ पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी रामकुवारपुरा तहसील खेतड़ी जिला–झुन्झुनु (राज0) ....वादी

// बनाम //

1. राजेंद्र पुत्र बाबूलाल
2. राधेश्याम पुत्र बाबुलाल
3. मिश्री पत्नि बाबुलाल
4. प्रकाशचन्द पुत्र बाबुलाल
5. चमेली पुत्री बाबुलाल
6. कमला पुत्री बाबुलाल समस्त जाति माली निवासी मौहल्ला पंजीबियान बहरोड
7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, कोटपूतली–बहरोड (राज०)
8. भूमिधारी तहसीलदार कार्यालय बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड (राज०)

– प्रतिवादीगण

दावा – इस्तकरारहक एवं हुक्म इम्तनाई दवामी।

उपस्थित :–

1. श्री जयप्रकाश शर्मा अधिवक्ता वादी
2. श्री सत्यवीर रावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित है। वादी का यह वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आश्य का डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 है0 ,1088 रकबा 0.54 है0,1089 रकबा 0.02 है0, वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन में वादी को विरासत इन्तकाल संख्या 2588 दिनांक 25.04.2012 व बयनामा दिनांक 16.07. 2012 के आधार पर 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर हाल भू–अभिलेख में गैर खातेदार शब्द को हटाकर खातेदार काश्तकार संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 24.6.25 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

रामकिशोर मीना
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़